न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 02/2024

बनाम

अपीलांटः–	रेस्पोडेंट :–
1. चम्पालाल पुत्र भोमाराम जाति राजपुरोहित निवासी कुशीप तहसील सिवाना, जिला बालोतरा	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा। 2. तहसीलदार सिवाना

आदेश

दिनांक 30.04.2024

अपीलार्थी चम्पालाल पुत्र भोमाराम जाति राजपूरोहित निवासी कुशीप, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा एवं तहसीलदार सिवाना को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

रेस्पोडेंट 1 द्वारा अपने जवाब में उक्त सूचना तहसील कार्यालय सिवाना से संबंधित है। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना में अतिक्रमण से संबधित बिन्दु संख्या 01 में अंकित ग्रामों में किस अवधि में दर्ज अतिक्रमणों की सूचना चाही गई है, जिसमें विशिष्टिया अंकित नहीं है।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना बहुतायत, अस्पष्ट, विशिष्टिविहिन एवं प्रश्नात्मक सूचना है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार प्रश्नात्मक सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील खारीज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील खारीज की जाकर पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 30.04.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा